

निर्माण अनुज्ञा पत्र की विधि मान्यता विस्तारित करने के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री शशि शेखर मिश्रा (सीईओ)

मे0 पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0

12ए-12बी, पार्श्वनाथ प्लेनेट प्लाजा,

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-226010

महोदय,

आपका ग्राम-मीरानपुर पिनवट, परगना, बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में के भूखण्ड संख्या/गाटा भूखण्ड संख्या 135,136,145,185,186,187,188,190,203,210, 239,195,121,122,146,147,148,149,150,151,152,153,233,133,192,197,200,167,218,219,2 24,226,225,221,262,228,220,193,130,132,134,140,141,142,191,199,201,213,211,196,18 3,229,214,139,166,205,206,215,209,240,198,212,222,227,254,154,261,263,264,176,174 पी,175,174पी,177,179 एवं 254 तथा 17 खसरा नम्बरान क्षेत्रफल 320090.00 वर्गमीटर पर पूर्व में भू-विन्यास मानचित्र अनुज्ञा पत्र संख्या-281 दिनांक 13.08.2015 स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के बहुमंजलीय भवन कलस्टर-1ए,1एए, एवं 1बी गार्डनिया आवासीय क्षेत्रफल 228093.00 अनुज्ञा पत्र संख्या-434 दिनांक 06.11.2015 मानचित्र स्वीकृत किया गया है। आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से कोविड महामारी से उत्पन्न अपात स्थिति के कारण समयान्तर्गत निर्माण कार्य न किये जाने के कारण अनुज्ञा अवधि की समाप्ति तिथि 05.11.2020 से पूर्व अनुज्ञा अवधि 05 वर्ष विस्तारित किये का अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण भवन विनियामकी 2009 में निर्धारित व्यवस्था के क्रम में निर्माण अनुज्ञा अवधि समाप्ति की तिथि 05.11.2020 से पुनः 05 वर्ष के लिये विस्तारित की जाती है। आप द्वारा समय विस्तारण शुल्क रु.356660.00 रु.100 के शपथ पत्र के माध्यम से 05 दिन के अन्दर समय विस्तार शुल्क जमा किये जाने का अनुरोध किया गया है एवं अवशेष बाह्य विकासात्मक शुल्क रु.237624030.00 दिया जाना है। बहुमंजलीय भवन कलस्टर-1ए,1एए, एवं 1बी गार्डनिया के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि आपके आवेदन-पत्र समय विस्तारण पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वरि0 प्रबन्धक (सिविल)

निर्माण खण्ड-7

कार्यालय संप्रेषण संख्या 118 दि० 20/07/2023

पत्र सं०/यूपीसीडा/पी०ओ०/289

दिनांक

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय (एस) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित सहा० प्रबन्धक परि० को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित कराये।

वरि० प्रबन्धक (सिविल)
निर्माण खण्ड-7